

संशोधित सार्वजनिक सूचना
मध्यप्रदेश शासन की आपसी सहमति से भूमि कय नीति अंतर्गत

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र दिनांक 12.11.2014 एवं मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 14.11.2014 में प्रकाशित अधिसूचना के परिपालन में म.प्र.शासन की आपसी सहमति से भूमि कय नीति के तहत प्रस्तावित निम्नानुसार नीचे दर्शाई गई अनसूची के कालम क.02 में उल्लेखित भूमि धारको की अनुसूची के कालम न.03 एवं 04 अनुसार भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद-थादला-सरदारपुर माईको उद्यवहन सिचाई परियोजना से प्रभावित होने हेतु ग्राम खण्डलाई तह. कुशी जिला धार की निजी भूमि की आवश्यकता है।

अनसूची
भूमि का वर्णन

(क)	ग्राम	:-	खण्डलाई
(ख)	तहसील	:-	कुशी
(ग)	जिला	:-	धार
(घ)	लगभग क्षेत्रफल	:-	1.459 हे०

पूर्व में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना				संशोधित नवीन प्रकाशित सार्वजनिक सूचना (जो पढी जावे)			
स.क्र.	भूमि धारक का नाम एवं पता	खसरा क्रमांक	कय नीति के तहत प्रस्तावित क्षेत्रफल हेक्टेयर में	स.क्र.	भूमि धारक का नाम एवं पता	खसरा क्रमांक	कय नीति के तहत प्रस्तावित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	अजबाई पति चिमल्या जाति भीलाला निवासी ग्राम भूमि स्वामी	555/1	0.420	1	अजबाई पति चिमल्या जाति भीलाला निवासी ग्राम भूमि स्वामी	555/1	0.420
2	सुभान कैलाश कमलाबाई पिता रूपसिंह जामसिंह पिता हट्टु जाति भीलाला निवासी ग्राम भूमि स्वामी	566, 567	0.650	2	सुभान कैलाश कमलाबाई पिता रूपसिंह जामसिंह पिता हट्टु जाति भीलाला निवासी ग्राम भूमि स्वामी	566, 567	0.650
3	छतरसिंह पिता चिमन जाति भीलाला निवासी ग्राम भूमि स्वामी	568	0.288	3	छतरसिंह पिता चिमन जाति भीलाला निवासी ग्राम भूमि स्वामी	568	0.288
4	रामसिंह सरदारसिंह पिता भारतसिंह व झुमकाबाई बेवा भारतसिंह व राजु दिलीपसिंह सुरेन्द्रसिंह पिता किशनसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम भूमि स्वामी	569	0.101	4	सरदारसिंह पिता भारतसिंह व राजु दिलीपसिंह सुरेन्द्रसिंह पिता किशनसिंह व मेहरबाई बेवा किशनसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम भूमि स्वामी	569	0.101
कुल रकबा		4	1.459	कुल रकबा		4	1.459

- उपरोक्त कृषको की भूमि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थादला-सरदारपुर माईको उद्यवहन सिचाई परियोजना के कय किसे जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह नियत अवधि (संशोधित सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के 15 दिवस के अन्दर) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी स.स.परियोजना कुशी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30 मनावर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार


(श्रीकांत बनोट)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग,